भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2642

2 अगस्त, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारी बैंकों में अतिदेय

2642. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी बैंकों में बहुत अधिक अतिदेय है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में हस्तक्षेप करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) और (ख): सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और परिसमापन के प्रावधान संबंधित राज्य सहकारी अधिनियमों या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002, जैसा भी मामला हो, में अंतर्विष्ट हैं लेकिन यदि कोई सहकारी समिति बैंकिंग के व्यवसाय में शामिल हो तो उसपर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधान भी लागू होते हैं ।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत आरबीआई, समय-समय पर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs), जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) सहित सहकारी बैंकों को दिशानिर्देश, परिपत्र, मागदर्शिका और अधिसूचनाएं जारी करता है ।

आरबीआई की भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति, 2021 रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCBs)) [राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) + जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs)] और शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के सकल बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (GNPA) निम्नानुसार है:

सहकारी बैंकों का सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (GNPA) (%)					
राज्य सहकारी बैंक		**जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको**		**शहरी सहकारी बैंको**	
31 मार्च 20	31 मार्च 21	31 मार्च 20	31 मार्च 21	31 मार्च 20	31 मार्च 21
6.7	6.7	12.6	11.4	10.6	11.7

***